

जज/अधीक्षक ..... उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम ..... बयाना .....  
 सुश्री/श्री/श्रीमती आदि ..... वनाम ..... सुरेश बगैरह .....  
 किराया मुकाममा ..... दावा धारा 188 राज.टी.एक्ट ..... नं ..... 166/23 ..... सन .....

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-------	---------------------------------	---

20.09.2023 दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब कर पत्रावली दिनांक 10.09.2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
बयाना (भयतपुर)

11/23  
पीठासीन अधिकारी  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/12 को पेश हो

रिडर  
एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना

दि 10/9/23 को शरीफ  
ब्रिक्काश जी पट्ट  
काज पेश इका

28/23  
पीठासीन अधिकारी  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/24 को पेश हो

रिडर  
एस.डी.ओ./एस.डी.एम.

11/24 प50 वाली- उषा/प्रति की लच्छी- डिमा  
11/9/23 का अमल/कार्र किमी. शरीफ  
की लच्छी उक्त मुप वयल्ल के प्रामाणी  
लच्छी मामी जाकेगी। वास लच्छी प्रामा  
1,2 लच्छ हाता कुतु/ कल प्राम।  
1,2 के प्राम प्रक लच्छ काठवाही  
कमल के लच्छी प्राम हा प्राम/वकी  
डि. 10/9/24 के प्राम- हल

10/24  
पीठासीन अधिकारी  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/12 को पेश हो

रिडर  
एस.डी.ओ./एस.डी.एम.

18/12/24 एडो वॉर 3407 एम/एल/एडो प्रवर्तित दिनांक  
18/12/25 को पेश हो

18/12/25 पीठारीन अधिकारी  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/12/25 को पेश है।  
सिद्ध  
ओ/एस.डी.एम

18/12/25 पीठारीन अधिकारी  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/12/25 को पेश है।  
सिद्ध  
ओ/एस.डी.एम

23/12/25 - एड. वॉर 3407 एम/एल/एडो - एड. वॉर 3407  
को पेश है।  
सिद्ध  
ओ/एस.डी.एम

20/12/25 पीठारीन अधिकारी  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/12/25 को पेश है।  
सिद्ध  
ओ/एस.डी.एम

29/12/25 एड. वॉर 3407 एम/एल/एडो - एड. वॉर 3407  
को पेश है।  
सिद्ध  
ओ/एस.डी.एम

12/1/25 - एड. वॉर 3407 एम/एल/एडो - एड. वॉर 3407  
को पेश है।  
सिद्ध  
ओ/एस.डी.एम

19/1/25 पीठारीन अधिकारी... को पेश है।  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक... को पेश है।  
सिद्ध  
ओ/एस.डी.एम

30/12/25 - प्रकरण का पत्रावली प्रकरण में एडो वॉर व फ्रीडम  
अनुवृत्त प्रकरण में एम/एल/एडो-2 का पत्रावली लगाया है।  
कावाण उपरान्त भी कोई उपाय नहीं।  
अतः प्रकरण इसी स्तर पर अटक हाजिरी व  
अटक पत्रावली में शामिल किया जाता है। पत्रावली में  
शुद्ध होना चाहिए। एडो वॉर व फ्रीडम  
दस्तावेज हो।